भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4663
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 2020/3 चैत्र, 1942 (शक) को दिया जाना है)

व्यापार पर कोरोना वायरस का प्रभाव

4663. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री सय्यद ईमत्याज जलीलः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री कार्ती पी॰ चिदम्बरमः
श्री गजानन कीर्तिकरः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण चीनी सामानों से सरकार को प्राप्त आयात शुल्क में गिरावट दिखना शुरू हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है और इसके लिए किये गए/किये जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि भारत देश में विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार चीन से आयात किए जा रहे कच्चे माल के लिए कुछ अन्य विकल्पों की खोज कर रही है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण दवाओं और अन्य विनिर्मित वस्तुओं की आपूर्ति में संभावित व्यवधान से निपटने के लिए कुछ उपायों की घोषणा करने जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या इस संबंध में उद्योगपतियों/व्यापारियों और अन्य हितधरकों के साथ कोई बैठक आयोजित की गई है और यदि हां, तो की गई विस्तृत चर्चा और उनके द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार अन्य उपायों सहित उत्पाद शुल्क में कटौती करने पर भी विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): वर्ष 2019-20 की तदनुरुपी अवधि के दौरान आयातों की तुलना में नवंबर, 2018-फरवरी, 2019 की अवधि के लिए चीन से आयात के आंकड़े निम्नानुसार है:-

अप्रैल-18 से अक्तूबर-18	अप्रैल -19 से अक्तूबर -19	नवंबर-18	नवंबर -19	दिसंबर-18	दिसंबर -19	जनवरी-19	जनवरी -20	फरवरी-19	फर वरी -20
2,96,000	**2,93,000**	**41,454**	**36,633**	**39,092**	**35,675**	**44,043**	**42,955**	**36,478**	**35,494**
नवंबर -18 से फरवरी-19- रु. 1,61,067 करोड़									
नवंबर-19 से फरवरी-20- रु. 1,50,757 करोड़									

पूरे वित्तीय वर्ष में चीन से आयात में गिरावट का एक सामान्य चलन रहा।

(ख) और (ग):
जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कहा गया है, वर्तमान में देश में आयात किए जाने वाले कुल इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में से लगभग 40 प्रतिशत चीन से और 17 प्रतिशत हांगकांग से है। ये आयात व्यापक रुप से संघटकों की प्रवृत्ति की हैं जो उप एसेम्बलियों तथा तैयार शुदा उत्पादों के विनिर्माण में जाते हैं। चीन में कोरोना

वायरस में हाल ही में प्रसार के कारण, आपूर्ति श्रंखला में व्यवधान के कारण जैसे संघटकों की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ा है। तथापि सरकार ने आपूर्ति श्रंखला की बाधा को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं:-

- पर्याप्त स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियां बरतने के बाद चीन से भारत को खेप उठाने के लिए उद्योग की सुविधा।
- अन्य देशों से ऐसे संघटकों के आयात के स्रोतों का पता लगाने के लिए उद्योग संघों को ऐसे मार्ग का पता लगाने के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करने की सलाह दी गई है। तथापि, अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए यह पर्याप्त रुप से कार्यान्वित किया गया है।
- चीन अथवा किसी अन्य देश में कोरोना वायरस के प्रकोप पर प्राकृतिक आपदा के रुप में विचार करने के लिए स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं तथा जहां कहीं उचित समझा जाए अप्रत्याशित खंड लगाया जाए।

(घ): प्रसंगत स्थिति में व्यापार तथा उद्योग को पेश आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड ने सभी सीमा शुल्क केंद्रों तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं को मई, 2020 के अंत तक 24X7 आधार पर कार्य करने के लिए निदेश दिया है। क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित क्षेत्रों से फार्मों का कार्य करने के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करे तथा वास्तविक मामलों में दस्तावेजों के विलंब से प्राप्त होने के कारण उद्भूत होने वाले विलंब शुल्क को माफ करें।

(च): माननीय वित्त मंत्री ने चीन में कोरोना वायरस के प्रसार के चलते व्यापार और उद्योग को पेश आ रही समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न हितधारकों से बातचीत की है, बातचीन के दौरान सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग/एजेंसियों से उपयुक्त कार्रवाई की अपेक्षा वाले कई मुद्दे उठाए गए थे। तदनन्तर इन मुद्दों पर दिनांक 20.02.2020 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में संबंधित मंत्रालयों/ विभागों/एजेंसियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में दिए गए निदेश अनुबंध के अनुसार है।

(छ): यद्यपि, उत्पाद शुल्क के संबंध में वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुबंध

प्रसंगत मुद्दे पर विचारविमर्श करने के लिए दिनांक 20.02.2020 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा अध्यक्षता की गई बैठक

निर्णय बिंदु

वित्तीय सेवाएं विभाग:

- वित्तीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से परिस्थिति से उत्पन्न होने वाली बाधाओं के बारे जागरुक होना चाहिए तथा तदनुसार उद्योग की सहायता करनी चाहिए।

- भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया जा सकता है कि वे क्रेडिट अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने का विचार करें तथा एनपीए प्रतिमान को स्थायी रुप से शिथिलता प्रदान करें।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय:

- मंत्रालय को उधोग की उत्पादन क्षमता में विस्तार करने के लिए श्रम कानूनों की आवश्यकताओं को शिथिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, उदारण के लिए संविदा आधारित कार्य, समय उपरांत आदि।

पर्यावरण मंत्रालय:

- पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण निकासी की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा लिए गए समय को कम करने के लिए कदम उठा सकता है।
- इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या जन सुनवाई को खत्म किया जा सकता है अथवा प्रसंगत स्थिति को शिथिल किया जा सकता है।

औषधीय विभाग

- नोडल अधिकारी जेएस स्तर पर नियुक्त किया जा सकता है ताकि महत्वपूर्ण निविष्टियों तथा कच्ची सामग्री जैसे एपीआई को हवाई जहाज से लाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा सके।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड:

- सीबीआईसी अपनी वेबसाइट पर एक समर्पित हेल्पलाइन तत्काल स्थापित करे जहां कोई व्यक्ति किसी प्रसंगत मुद्दे समाधान ढुंढ सके तथा संबंधित विभाग/एजेंसी से अपेक्षित राहत अथवा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- परीक्षण सुविधा सहित सभी सीमा शुल्क कार्यालय को अगले चार महीने तक शीघ्र ही 24X7 कार्य करना होगा।
- प्रसंगत स्थिति में अपेक्षित दस्तावेजों के विलंब से प्राप्त होने के मामले में त्वरित निकासी सुरक्षित की जाए, सभी संबंधित मंत्रालय आयात दस्तावेजों की पहचान करे जिन्हें प्राप्त होने में विलंब हो रहा तथा जहां निकासी की अनुमति तभी दी जा सकती है जब दस्तावेजों को बाद में निहित अवधि के भीतर पेश किया जाता है।
- माल की निकासी से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी जाए तथा सीमा शुल्क, पतन प्राधिकारियों तथा सहभागी सरकारी एजेंसियों जैसे सभी संबंधितों द्वारा प्रसंगत स्थिति की निगरानी की जाए।

जहाजरानी मंत्रालय:

- प्रसंगत स्थिति को ध्यान में रखते हुए चीन से आने वाले पोतों को प्राथमिकता दी जाए।
- पतनों से विशेष रुप से पूर्वी समुद्र तट पाराद्वीप तथा हल्दिया जैसे नदी तट पतनों से भीड़ को कम करने के लिए प्राथिमकता के लिए भीड़ को कम करने की योजना कार्यान्वित की जाए।
- माल की निकासी से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी जाए तथा सीमा शुल्क, पतन प्राधिकारियों तथा सहभागी सरकारी एजेंसियों जैसे सभी संबंधितों द्वारा प्रसंगत स्थिति की निगरानी की जाए।

रेलवे मंत्रालय:

- रेलवे मंत्रालय प्रसंगत स्थिति में माल के त्वरित संचालन के लिए अतिरिक्त रेपों के आबंटन जैसे संसाधनों का विपथन करेगा।

नागर विमानन मंत्रालय:

- नागर विमानन मंत्रालय जेएस स्तर पर किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी के रुप में नामित करे जो मीट वाई.डी/फार्मा तथा भारी उद्योग मंत्रालय जैसे संबंधित मंत्रालय के साथ महत्वपूर्ण निविष्टियों/कच्ची सामग्री को हवाईजहाज से त्वरित उठाने के लिए समन्वय कर सकें।

वाणज्यिक विभाग:

- वाणज्यिक विभाग सभी 32 ईपीसी को ऑनलाइन शिकायत निवरण तथा सीमा शुल्क कार्यालयों के 24X7 कार्य प्रणाली के लिए सीमा शुल्क द्वारा सूचित करने हेतु कदम उठाए जाएं।
- डीजीटीआर विदेश में स्थिति के सामान्य होने के उपरांत आयातों में संभावित वृद्धि को उपयुक्त ढंग से संभाले।
- डीजीएफटी स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपस्कर तथा वस्त्र की निषिद्ध सूची से गैर आवश्यक मदों को हटाने पर विचार करे

कृषि मंत्रालय:

- कृषि मंत्रालय 22 फरवरी (शनिवार) तक दूसरे देश के माध्यम से चीन को सीधे अथवा अप्रत्यक्ष कृषि तथा बागवानी की सामग्री के निर्यात पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

विदेश कार्य मंत्रालय:

- विदेश कार्य मंत्रालय उन देशों की पहचान करे जहां निर्यातों के प्रभावित होने की संभावना है तथा पता लगाए कि क्या प्रसंगत स्थिति में उत्पन्न हुए अंतराल को भारतीय निर्यातों को पूरा किया जा सकता है।

इलेक्ट्रोनिक तथा सूचना मंत्रालय:

- जेएस स्तर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है जो इलेक्ट्रोनिक उद्योग द्वारा उपेक्षित महत्वपूर्ण निविष्टियों द्वारा संघटकों को हवाई जहज से उठाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के साथ समन्वय करे।

भारी उद्याग मंत्रालय:

- जेएस स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है जो ऑटोपार्टस जैसे महत्वपूर्ण निविष्टियों हवाई जहाज से उठाने के लिए नागर विभाग मंत्रालय से संपर्क कर सके।

रसायण एवं उर्वरक मंत्रालय:

- उर्वरक विभाग पीएसयू में डीएपी तथा एनपीके उत्पादन को बढ़ाने के लिए संगत कदम के बारे में सूचित करे

इस्पात मंत्रालय:

- इस्पात मंत्रालय इस बात की जांच करे कि क्या प्रसंगत स्थिति में अन्य देशों में भरे न गए कोटे को भारत द्वारा पूरा किया जा सकता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से संबंधित कोई निर्णयगत बिंदु नहीं था।

*****